

राजरथान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला-शाहपुरा

क्रमांक / रीडर / 2024/329/2024

दिनांक :- 20.05.2024

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र.सं. 329/24 अनवान सोहन लाल पिता हजारी बलाई निवासी-ईटून्दा, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा बनाम सोराज पिता रामचन्द्र मीणा निवासी-ईटून्दा, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, सोजी पिता प्रताप मीणा, निवासी-ईटून्दा, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, राजू पिता प्रताप मीणा निवासी-ईटून्दा, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, कालू पिता प्रताप मीणा जाति मीणा उम्र-वयस्क निवासी-ईटून्दा, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, आशा पुत्री सोजी मीणा निवासी-लुहारीकलां तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, केसरलाल पिता सोजी मीणा निवासी-लुहारीकलां तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, गीता पत्नि सोजी मीणा निवासी-लुहारीकलां तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, सोराम पिता सोजी मीणा निवासी-लुहारीकलां तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, सुगना पत्नि दुर्गालाल भील निवासी-तालाब का झुपड़ा, (ईटून्दा) तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, मांगी पत्नि रामनारायण मीणा निवासी-तालाब का झुपड़ा, (ईटून्दा) तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, धनराज पिता कल्याण मीणा निवासी-ईटून्दा, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, मोतीराम पिता कल्याण मीणा निवासी-ईटून्दा, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा राजू पिता रामसिंह मीणा निवासी-ईटून्दा, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम तालाब का झुपड़ा, प.ह. ईटून्दा, तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.सं. 2298/1 रकबा 1.1331 हैक्टर व आराजी संख्या 237/2 रकबा 0.8094 हैक्टर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अमिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 1500/-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/सम्मन भेजकर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी आदेश पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर (शाहपुरा)
सोहन लाल पिता हजारी बलाई निवासी-ईदून्दा, तहसील-जहाजपुर
बनाम

सोराज पिता रामचन्द्र मीणा निवासी-ईदून्दा, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 आर. एल.आर.ए. मुकदमा नं. 329/2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये |
|------------|--|--|
| 20.05.24 | <p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की आ.सं. 2298/1 रकबा 1.1331 हैक्टर व आराजी संख्या 237/2 रकबा 0.8094 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111, 128 रा.ले. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि आ.सं. आ.सं. 2298/1 रकबा 1.1331 हैक्टर व आराजी संख्या 237/2 रकबा 0.8094 हैक्टर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500/-रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100/-रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 20.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |


उखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)